मध्य प्रदेश शासन रकूल शिक्षा विभाग मंत्रालय

वल्लभ भवन,भोपाल-462004

कमांक-47/12980.94/2023/20-3 प्रति, भोपाल, दि० 17/1/2024

सचिव सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली।

विषयः- अशासकीय संस्था को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वावत्।

राज्य शासन एतद् व्दारा अशासकीय संस्था-सेंट उमर एकेडमी खजराना है। रोड इंदौर, जिला-इंदौर, म०प्र० को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तो के आधार पर प्रदान किया जाता है:-

(1) क़ेन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।

(2) विद्यालय प्रबंधन व्दारा विद्यालय की प्रबंधन समिति में संभागीय संयुक्त हैं संचालक, लोक शिक्षण तथा उनके व्दारा नामांकित एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में/ नामांकित करना होगा तथा प्रबंधन समिति की बैठकों हैं में शासकीय सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(3) संस्था व्दारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा।

(4) संस्था विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यकम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान, छात्रावास भवन की सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिया जाये।

(5) संस्था व्दारा प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेलो आदि के आयोजन में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान की जावेगी।

(6) निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापित प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

निरन्तर...2

SKINT UMAR ACADEMY KHAJRANA, INDORE (M.P.) (7) छात्र-छात्राओं को शांलाओं में लगने वाली पुस्तके एवं लेखन सामग्री खुले बाजार से क्रंय करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से क्रंय करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

(8) संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस भेजने के लिये परिवहन विभाग व्वारा दी गई अनुमित प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एल०पी०जी० आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।

- (9) शिक्षण संस्था में मान० उच्चतम न्यायालय व्दारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कियाशील अग्नि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था की जाएगी तथा इस संबंध में भारत सरकार व्दारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन भी करना होगा।
- (10) छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग व्दारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
- (11) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन व्दारा प्रतिबंधित पुस्तकों भी नहीं रखी जा सकेगी।
- (12) संस्था के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग व्यारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।
- (13) विद्यालय प्रबंधन विद्यालय में प्रवेश के लिये बच्चों तथा माता-पिता अथवा अभिभावकों को किसी भी प्रकार की स्कीनिंग प्रकिया नहीं अपनाएगा।
- (14) संबंधित विद्यालय व्दारा तैयार शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक अमले की सेवा शर्ते जो कि राज्य शासन के समरूप होनी चाहिए के पालन न होने की स्थिति में संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे।
- (15) सम्यक निरीक्षण के पश्चात एक वार मान्यता प्रदान कर दिये जाने पर सोसायटी/द्र्ट मान्यता के समय दावाकृत किन्ही भी मापदण्डों को परिवर्तित नहीं करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सकते है, यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायटी/द्रस्ट किन्ही मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा है तो संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को मान्यता नियम, 2017 के नियम-11 के उप नियम-(1) में विनिर्दिष्ट प्रकिया का......

4

SANT HMAR ACADE

निरन्तर....3

अनुसरण करते हुए स्कूल की मान्यता निलंबित करने और पश्चातवर्ति इसे वापिस लेने की शक्ति होगी।

अशासकीय विद्यालयों में संचालित वाहनों में एक महिला एवं एक पुरुष परि-चालक की व्यवस्था की जाय तथा वाहन में निर्घारित सीट से (16)अधिक छात्र/छात्राओं को नही बैटाया जाय।

उपर्युक्तानुसार शर्तो का पालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र

निरस्त किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(ओ 0 एल ० मण्डलोई)

उप सचिव म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पु० क्रमांक-48/1298094/2023/20-3

भोपाल, दि० 17-/1/2024

प्रतिलिपि:-

विशेष सहायक, मान० मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल। (1)

आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल। (2)

सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल। (3)

संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, म०प्र०। (4)

जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-इंदौर, म०प्र०। (5)

प्राचार्य, अशासकीय संस्था-सेंट उमर एकेडमी खजराना रोड इंदौर, जिला-इंदौर, म०प्र०।

फोल्डर प्रति; (7)सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

SAINT UMAR ACADEMY

VHATRANA, INDORE (M.P.)